भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारीको अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

मे0 आई0एच0बी0एल0 द्वारा कांडला-गोरखपुर एलपीजी पाइप लाइन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्शन) के अन्तर्गत जनपद-उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0069 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 617 वृक्षों/पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे0 संरक्षित वनभूमि, प्रतापगढ में प्रभावित 0.0235 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधें के पातन, गोरखपुर में प्रभावित 0.05 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 32 वृक्षों/पौधें के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 हे0 संरक्षित वनभूमि जौनपुर में प्रभावित 0.008 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 06 वृक्षों/पौधों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 0.6808 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0135 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1111 वृक्षों/पौधा के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 02 वृक्षो/पौधों के पातन, लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे0, आरक्षित वनभूमि एवं 0.035 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2690 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात 0.2778 हे0 संरक्षित एवं 3.7028 हे0 आरक्षित कुल 3.9806 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षो/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/42798/2019)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-244/81-2-2022-800(227)/2022 दिनांक 15 जुलाई 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी
Date: 15-07-2022 11:59:18
Reason: Approved

( )

(आशीष तिवारी) नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।